न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– महीपालसिंह, आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :–09 /2021 ज्ञा० फा

1– सुखी बाई प० गहरीलाल गुर्जर नि० ज्ञानगढ़ - तह० करेड़ा। –प्रार्थी।

वनाम

1– बसन्तीलाल पि० सोहनलाल महाजन नि० ज्ञानगढ़ - तह० करेड़ा - करे० विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: निर्णय :: दिनांकः 15/3/21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तार्गत धारा 111–128 रा0 मू0. राज0 अधि01956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ज्ञानगढ़........पटवार हल्का ज्ञानगढ़......भू०अ०नि० क्षेत्र ज्ञानगढ़......में उनके खाता संख्या 117 की आ०नं० 1033 रकबा 0.6956 हैक्टर.. ....स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सवंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 5/1/2021 को पंजीवद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ज्ञानगढ़.........पटवार हल्का ज्ञानगढ़.........भू०अ०नि० क्षेत्र ज्ञानगढ़.........में उनके खाता संख्या 117 की आराजी नम्बर 1033 रकबा 0.6956.. ....भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू अ०नि० ज्ञानगढ़ को 500/- /– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

सलंग्न :– प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा